72/2022

पत्रावली पेश हुई। शायलान व शायलान वकील उप० नहीं। प्रकरण में बार-बार शायलान व शायलान वकील को आवाज दिलवायी। आवाज दिलवाने के बावजूद शायलान व शायलान वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि शायलान व शायलान वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहा है। अतः मुकदमा 673/2020 [illegible] व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर की जाय।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2022.06.08 16:04:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)